



मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यायास भवन, भोपाल-462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 257 3396 E-mail: ceomprnda@gmail.com

क्रमांक : 12059 / cisculat REG

भोपाल, दिनांक 05/06/2018.....

:: परिपत्र ::

निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिज की रायल्टी गणना के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा समय-समय पर आपत्ति उठाई जाती रही है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण के निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज की मात्रा की गणना भारत शासन के Mines & Mineral Act 1997 में रायल्टी की दी गई परिभाषा अनुसार गौण खनिज की उत्खनित अथवा हटायी गई (Extracted/Removed) मात्रा पर ही रायल्टी देय होगी। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण के निर्माण कार्यों में उपयोगित गौण खनिज यथा मेटल, जीएसबी इत्यादि में संविदाकार को भुगतान की जाने वाली मात्रा पर ही निर्धारित दर से रायल्टी की राशि की गणना की जावे।

8/5/6

(नीतेश व्यास)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/06/2018

पृ.क्र. 12060/22/वि-12/ग्रासप्रा/2018 / T REG
प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार (आडिट) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, खनिज विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर एवं रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त महाप्रबंधक (तक.) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

8/5/6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

भोपाल